

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
सुरस्वती देवी बनाम धन्नाराम आदि

किस्म मुकदमा:-अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम

प्रकरण सं.-40/2015

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हए

28.6.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। अपीलांट सुरस्वती देवी स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में अंकित भूमि के संबंध में अपीलांट व रेस्पोंडेंट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 धन्नाराम का पंचायती राजीनामा हो गया है। अपीलांट पंचायती राजीनामा से संतुष्ट है और अब इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है तथा अपनी अपील विद्रो करना चाहती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट सरस्वती देवी की पहचान वकील श्री रामप्रताप तिवाडी द्वारा की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया गया जाकर अपील अपीलांट विद्रॉल के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

